## Order Sheet [Contd] Case No - B.A -407 / .17बी.ए.

	Case No - B.A	-407 / .17बा.ए.
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	20.11.2017 पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से कार्य विभाजन	
	पत्रक अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।	
	अधिवक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते प्रकरण शीघ्रसुनवाई एवं एक आवेदनपत्र	
A. C.	अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश कर निवेदन किया कि आवेदिका/आरोपिया किरन प्रकरण में समर्पण करना चाहती है	
A.	प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया जावे।	
(2)	विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।	
	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदिका/आरोपिया के	
	विरूद्ध परिवादी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी मौ के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(ख) के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें	
	कि आरोपिया के विरूद्ध वारंट जारी है। आवेदिका/आरोपिया प्रकरण में वांछित होने से उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपिया	500
	का जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे 📞 💆	
	परिवादी की ओर से श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।	
	आरोपिया की ओर से अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर द्वारा	
	आरोपिया का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पेश किया गया। जिसकी नकल परिवादी अधिवक्ता को दिलाई	
	गई। आवेदनपत्र विधिवत पंजी में दर्ज किया जावे।	
	आवेदिका / आरोपिया की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत	
	आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदिका/आरोपिया के विरूद्ध झूठा बिजली का चोरी का मामला अपने मेल के गवाहन की	
	गवाही कराकर आवेदिका को फरार दर्शांकर चालान पेश कर दिया	
	है और आवेदिका को उक्त संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।	

आवेदिका को झूठा फंसाया गया है। आवेदिका स्थानीय निवासिनी है, वह प्रत्येक शर्त का पालन करने को तैयार है। इन्हीं आधारों पर जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

परिवादी की ओर से जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदिका/आरोपिया के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपिया के द्वारा उसे प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर बिल के रूप में 70,703 / - रूपए बकाया हो गई थी। उक्त राशि जमा न करने के कारण विभाग द्वारा उक्त कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। परंतु उसके पश्चात् निरीक्षण के दौरान दिनांक 10. 06.2013 को आरोपिया के द्वारा उक्त कनेक्शन को अप्राधिकृत रूप से पुनः मण्डल की लाइन से दो तार जोडकर अवैध रूप से आटा चक्की चलाते हुए पाया गया था, जिस संबंध में यह परिवादपत्र उसके विरूद्ध 14.08.2013 को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें कि वर्तमान तक आरोपिया उपस्थित नहीं हुई है और उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा है। आरोपिया ने आज स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। प्रकरण अभी प्रारंभिक स्टेज पर है जिसके निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में आवेदिका/आरोपिया की ओर से 20,000 / - (बीस हजार रूपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये।

प्रकरण में आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु पूर्ववत दिनांक 18.01.2018 को पेश हो।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वास्ते— विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म0प्र0